

खान मंत्रालय
मांग संख्या 11
खान मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	198.67	363.32	561.99	118.67	895.79	1014.46	208.01	405.24	613.25	
पूंजी	28.83	...	28.83	88.83	10.00	98.83	20.49	...	20.49	
जोड़	227.50	363.32	590.82	207.50	905.79	1113.29	228.50	405.24	633.74	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	7.35	7.35	...	7.03	7.03	...	7.67	7.67
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग										
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2853	158.64	166.64	325.28	80.14	165.59	245.73	160.81	177.70	338.51
	4853	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	158.65	166.64	325.29	80.15	165.59	245.74	160.82	177.70	338.52	
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	2853	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	2853	16.48	13.12	29.60	15.98	13.11	29.09	17.15	14.13	31.28
	4853	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.11	...	0.11
जोड़	16.54	13.12	29.66	16.04	13.11	29.15	17.26	14.13	31.39	
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान	2853	...	83.62	83.62	...	15.00	15.00	...	83.01	83.01
6. हिन्दुस्तान कापर लि. को अनुदान	2853	...	90.00	90.00	...	220.00	220.00	...	120.00	120.00
7. अन्य कार्यक्रम	2853	5.00	2.59	7.59	4.00	2.59	6.59	4.50	2.73	7.23
8. हिन्दुस्तान कॉपर लि. को पुनःस्थापन आयोजना के सम्बन्ध में लेखाकरण समायोजन										
8.01 ऋणों को सहायता अनुदान में बदलना	2853	440.00	440.00
8.02 गारंटी शुल्क हेतु सब्सिडी	2853	6.75	6.75
8.03 ब्याज सब्सिडी	2853	25.72	25.72
जोड़	472.47	472.47
जोड़-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	188.19	355.97	544.16	108.19	888.76	996.95	191.58	397.57	589.15	
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार										
9.01 खनन अन्वेषण निगम लिमिटेड	6853	10.00	10.00
10. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	28.00	...	28.00	88.00	...	88.00	20.00	...	20.00
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान										
11.01 भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण	2552	10.55	...	10.55	10.55	...	10.55	16.55	...	16.55
11.02 भारतीय खान ब्यूरो	4552	0.76	...	0.76	0.76	...	0.76	0.37	...	0.37
जोड़	11.31	...	11.31	11.31	...	11.31	16.92	...	16.92	
कुल जोड़	227.50	363.32	590.82	207.50	905.79	1113.29	228.50	405.24	633.74	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	जोड़
10.01 हिन्दुस्तान कॉपर लि.	12853	25.00	...	25.00	85.00	...	85.00	20.00	...	20.00
10.02 नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	12853	...	900.00	900.00	...	700.00	700.00	...	650.00	650.00
10.03 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	12853	...	115.00	115.00
10.04 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	12853	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
10.05 अन्य निकाय/संस्थाएं	12853	...	3.50	3.50	...	3.25	3.25	...	3.55	3.55
जोड़	28.00	1018.50	1046.50	88.00	703.25	791.25	20.00	653.55	673.55	
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग										
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	12853	223.19	1018.50	1241.69	202.84	703.25	906.09	217.58	653.55	871.13
जोड़	22552	11.31	...	11.31	11.31	...	11.31	16.92	...	16.92
		234.50	1018.50	1253.00	214.15	703.25	917.40	234.50	653.55	888.05

* शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य प्रावधान सहित।

मांग संख्या 98	12853	1.30	...	1.30	1.16	...	1.16	1.10	...	1.10
मांग संख्या 99	12853	5.70	...	5.70	5.49	...	5.49	4.90	...	4.90
जोड़		7.00	...	7.00	6.65	...	6.65	6.00	...	6.00

1. **सचिवालय:** इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण:** इसके अन्तर्गत भूगर्भीय मानचित्रण और अपतटीय क्षेत्रों सहित देश के क्षेत्रीय खनिज के मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है और इसमें उपग्रह प्रतिबिम्ब और वायुवाहित सर्वेक्षण के जरिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता भी शामिल है।

3. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान:** संवर्धनात्मक आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को सौंपी गई अन्वेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है।

4. **भारतीय खान ब्यूरो :** इसके अन्तर्गत किए गए प्रावधान में स्थानों के अध्ययन और निरीक्षण तथा अनुसंधान के लिए भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकताओं और (?)निम्न श्रेणी के अयस्कों और खनिजों के उपकारक और (??) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ाने के दृष्टिगत विशेष खनन समस्याओं के लिए व्यवस्था शामिल है।

5. **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड:** कम्पनी में जनशक्ति को अलग करने के लिए भुगतान का प्रावधान है।

6. **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड :**जनशक्ति को अलग करने के लिए भुगतान का प्रावधान किया गया है।

7. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं और राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार आदि के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी और वैज्ञानिक निकायों को सहायता-अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

8. **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड:**

8.01 इसमें आयोजना-भिन्न ऋण को ब.अ.2002-2003 में सहायता अनुदान में बदलने की व्यवस्था है।

8.02 कम्पनी की गारंटी शुल्क की माफी।

8.03 कम्पनी की ब्याज माफी।

9. **सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** सं.अ. 2002-2003 में खनिज अन्वेषण निगम लि. को जनशक्ति को अलग करने के लिए 10.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

10. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और चालू स्कीमों, प्रतिस्थापन और नवीकरण तथा अनुसंधान और विकास पर पूंजी व्यय की पूर्ति के लिए इक्विटी की व्यवस्था करता है। इन उद्यमों के सम्बन्ध में बजट सहायता का इक्विटी ब्यौरा तथा आईईवीआर को व्यय बजट के खण्ड I में दिया गया है।

10.01 **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड(एचसीएल) :** हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का परिव्यय जारी स्कीमों, प्रतिस्थापना और नवीकरण तथा अनुसंधान व विकास पर खर्च किया जाना है।

10.02 **राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) :** राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लि. का परिव्यय मुख्यतः बाक्साइट खान, अल्यूमिनियम रिफाइनरी, प्रतिस्थापन एवं नवीकरण आदि जैसी विद्यमान सुविधाओं के लिए है।

10.05 **अन्य निकाय/संस्थान:** यह परिव्यय वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए है।

11. एकमुश्त प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों व सिक्किम के लाभ के लिए विकास की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए है।